2018 का विधेयक सं.20

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्रःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।
 - (2) यह 13 जून, 2018 को और से प्रवृत हुआ समझा जायेगा।
- 2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में धारा 7क का अंतःस्थापन.- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की विद्यमान धारा 7 के पश्चात् और विद्यमान धारा 8 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा 7क अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थातः-
 - "7क. अधिभार का उद्ग्रहण.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर उद्ग्रहणीय कर की रकम या कर के बदले में किसी राशि के बीस प्रतिशत से अनिधिक की ऐसी दर से, और ऐसी तारीख से, अधिभार उद्गृहीत किया जायेगा, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, और रिजस्ट्रीकृत व्यवहारियों द्वारा संदत किया जायेगा।
 - (2) वे उपबंध, जो इस अधिनियम के अधीन संदेय कर पर लागू हैं, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय अधिभार के संबंध में लागू होंगे।
 - (3) उप-धारा (1) के अधीन उल्लिखित अधिभार के आगमों का उपयोग गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।"।
- 3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, की गयी कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए निधि सृजित करने हेतु, माल के विक्रय या क्रय पर उद्ग्रहणीय कर की रकम या कर के बदले में किसी राशि के बीस प्रतिशत से अनिधिक की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में एक नयी धारा 7क जोड़कर अधिसूचित की जाये, अधिभार उद्गृहीत किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 13 जून, 2018 को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 14 जून, 2018 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(25) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2018 प्रेषक: वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने की सिफारिश करता हूँ।

(Authorised English Translation) Bill No. 20 of 2018

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

 \boldsymbol{A}

Bill

further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Act, 2018.
- (2) It shall be deemed to have come into force on and from 13th June, 2018.
- **2. Insertion of section 7A, Rajasthan Act No. 4 of 2003.**-After the existing section 7 and before the existing section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the following new section 7A shall be inserted, namely:-
 - "7A. Levy of surcharge.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be levied a surcharge from such date and at such rate not exceeding twenty per cent of the amount of tax, or any sum in lieu of tax, leviable on sale or purchase of such goods, as may be notified by the State Government, and shall be paid by the registered dealers.
 - (2) The provisions as they are applicable to the tax payable under this Act, shall, so far as may be, apply in relation to surcharge payable under sub-section (1).
 - (3) The proceeds of surcharge mentioned under subsection (1) shall be utilized for the purpose of conservation and propagation of cow and its progeny.".

- **3. Repeal and savings.-** (1) The Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 2 of 2018) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to generate the funds for conservation and propagation of cow and its progeny, a surcharge is proposed to be levied on sale or purchase of goods at such rates not exceeding twenty per cent of the amount of tax, or any sum in lieu of tax leviable on such goods, as may be notified by the State Government by adding a new section 7A in the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

Since the Rajasthan State Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance No. 2 of 2018), on 13th June, 2018, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 14th June, 2018.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance. Hence the Bill.

(वसुन्धरा राजे) Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प.2(25) विधि/2/2018 जयपुर, दिनांक 30 अगस्त, 2018 प्रेषक: वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने की सिफारिश करता gwiA

<u>2018 का विधेयक सं. 20</u>

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन, सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 20 of 2018

THE RAJASTHAN VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2018

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly) RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill
further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
Dinach Kumar Jain

Dinesh Kumar Jain, **Secretary.**

(Vasundhara Raje, Minister-Incharge)